



2026:AHC-LKO:40885

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 7888 वर्ष 2025

रवि सिंह

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शैलेन्द्र कुमार तिवारी, अम्बिका प्रसाद मिश्र,
हेमलता वर्मा, हिमाद्रि गोस्वामी, जया सिंह, कपिल
कुमार यादव, करुणाकर श्रीवास्तव, रुबी मौर्य

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, सूर्य भान सिंह

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
- यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से थाना साइबर क्राइम, जिला अमेठी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0013/2024 में धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भा०न्या०सं० और धारा 66ग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दायर की गई है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है और वह 26.6.2025 से जेल में है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि सह-आरोपी शिवंश मिश्रा, जिसकी भूमिका समान है,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.4.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 7656/2025 में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है (आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आदेश को अभिलेख में लिया गया है)। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सह-आरोपी शिवंश मिश्रा को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की परस्पर विरोधी दलीलों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-आरोपी शिवंश मिश्रा के जमानत आदेश, समानता के आधार के साथ-साथ तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. आवेदक **रवि सिंह** को उपरोक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(i i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(i i i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(i v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा०दं०सं०/269 भा०ना०सु०सं० के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं०/84 भा०ना०सु०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा०दं०सं०/209 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(v i) आवेदक को (1) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय होने और (3) धारा 313 दं०प्र०सं०/351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जून 11, 2026

गौरव

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।